



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै० अंसल अर्बन कन्डोमिनियम प्रा०लि० डायरेक्टर श्री उदित जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन द्वारा राजस्व ग्राम डूंडाहेडा, गाजियाबाद स्थित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप-सुशांत एक्वापॉलिस के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर एन.सी.एल.टी. में योजित वाद संख्या-113/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 एवं एन.सी.एल.टी. के समक्ष आई.बी.सी. संख्या-4863 (एनडी/2023) में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील-4473/2026 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2026 के क्रम में ऑनलाईन पोर्टल Fastpas के माध्यम से ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी.एच.-1 पर मानचित्र आवेदन संख्या-GDA/BP/MS/2026-27/22111 स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मा० एन.सी.एल.टी./मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, गा०वि०प्रा० द्वारा निस्तारण आदेश दिनांक 17.08.2026 पर मा० प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिनांक 21.08.2026 के क्रम में ऑन लाइन भवन मानचित्र आवेदन का निस्तारण किया जाना है। उक्त स्थल पर पूर्व में मै० अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा० लि० (कन्सोर्शियम) द्वारा ग्रुप हाउसिंग क्षेत्रफल 119829.613 वर्ग मी० पर मानचित्र संख्या-487/जोन-5/2016-17 दि० 16.02.2017 स्वीकृत कराया गया था। जिसमें 26 टावरों के निर्माण के साथ 2960 आवासीय इकाईयाँ स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष स्थल पर अर्ध निर्मित 18 टावरों, 4 पूर्ण निर्मित टावरों के साथ कतिपय आवासीय इकाई अध्यासित है। वर्तमान में मा० एन.सी.एल.टी. द्वारा चयनित विकासकर्ता मै० अंसल अर्बन कन्डोमिनियम प्रा०लि० द्वारा पूर्व स्वीकृत टावरों के सापेक्ष पूर्व निर्मित/अर्धनिर्मित कुल 25 टावर के साथ कुल 2713 आवासीय इकाईया (ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. सहित) के साथ प्रस्तावित ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विकासकर्ता द्वारा पूर्व में स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के क्षेत्रफल, सीमाओ व आवासीय इकाईयों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र में सृजित आवासीय इकाईयों के प्रभावित होम बायर्स के हितों को संरक्षित करने के दृष्टिगत पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्र संख्या-487/जोन-5/2016-17 दिनांक 16.02.2017 निष्प्रभावी की सार्वजनिक सूचना का प्रसारण के साथ प्रस्तुत संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव उपाध्यक्ष कार्यालय, स्वागत कक्ष एवं मुख्य नगर नियोजक कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अपर सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, क्वाटर्सएण्ड: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प